

मण्डल सैम, मण्डल कार्यालय, झाँसी

झलकारी बाई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कानपुर रोड, झाँसी उ.प्र. - 284001, फोन नं. : 0510- 2321461, ईमेल: cs8252@pnb.bank.in.

नीलामी सन्दर्भ सं.: ई-नीलामी / baanknet / 2026-27 / तिमाही -01 / स. 03

दिनांक 26.05.2026

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूतिकरण एवं वितीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) अंतर्गत बैंक के द्वारा बंधक बनाई गई चल / अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-विक्रय नोटिस दिया जाता है। नीचे वर्णित चूककर्ताओं ने पंजाब नैशनल बैंक से ऋण लिया था तथा इस ऋण की राशि चुकाने में विफल रहे। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण एवं वितीय संपत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना जारी की गई थी और उसके बाद बंधक सम्पत्तियों का रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, और नीचे वर्णित सम्पत्तियों को उस तारीख को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित, 'जहां है, जैसा है', 'जैसा है वैसा है', '...', और 'जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, जो बैंक / प्रतिभूति लेनदार के कारण, अपने बकाये की वसूली के लिए (सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत विक्री का निर्णय लिया है। अरक्षित मूल्य एवं अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध विवरण का नीचे दी गई तालिका के अनुरूप होगी।

विक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	शाखा का नाम का विवरण उधारकर्ता / जमानतकर्ता / खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बैंक / सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति / या (परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग व एवं हिस्से सहित)	अ/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि ब/उपनीएँ तिथि को देय बकाया राशि स/सरफेसी नियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि द/कब्जा का प्रकार-रचनात्मक /सांकेतिक / भौतिक कब्जा	अ/आरक्षित मूल्य (लाख में) ब/अग्रिम राशि जमा (ईएमडी) / राशि जमा करने की समय सीमा स/ वृद्धिशील बिड धनराशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	शाखा- चिरगांव, झाँसी उधारकर्ता-श्री राम स्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल,	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट (अब उस पर निर्मित मकान) स्थित भूमि नंबर 378, ग्राम- सुल्तानपुरा, तहसील - मोट, जिला-झाँसी। क्षेत्रफल- 61 वर्ग मी. जोकि श्री राम स्वरूप पुत्र श्री मोतीलाल के नाम पर के नाम है। चौहददी- पूरब- बड़ौदा वाले का प्लॉट, पश्चिम- जाखन वाले का प्लॉट, उत्तर- रास्ते के साथ दूसरा प्लॉट, दक्षिण- रास्ते के साथ खिल्ला वारी वाले का प्लॉट।	अ) 27.08.2025 ब) रु. 7,63,095.45 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.08.2025 से प्रभावी स) 29.11.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 15.00 लाख ब) रु. 1.50 लाख 16.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	16.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
2	शाखा-टहरीली उधारकर्ता-मुख्तार अहमद एवं सोपाहर अहमद (जमानतकर्ता)	परिसम्पत्ति से सभी संबंधित भाग व एवं हिस्सों सहित- आवासीय एक मंजिला मकान सम्पत्ति स्थित आराजी नं० 932 का जुजु भाग, मौजा-पिछोर, तहसील एवं जिला- झाँसी उ०प्र० क्षेत्रफल- 55.78 वर्ग मीटर। (जोकि सोपाहर अहमद पुत्र मुख्तार अहमद के नाम पर है) चौहददी - पूर्व-वर्मा जी का मकान, पश्चिम-रास्ता 4.57 मीटर, उत्तर-शांति देवी का मकान, दक्षिण-जुबेर खान का मकान	अ) 03.08.2023 ब) रु. 6,64,578.12 +ब्याज दि. 01.08.2023 से प्रभावी एवं अन्य खर्चे स) 28-12-2023 द)सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 22.00लाख ब) रु. 2.20 लाख 16.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	16.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
3	शाखा- झाँसी कैन्ट उधारकर्ता- श्री ओम प्रकाश जोशी पुत्र स्व० हनुयायारण जोशी सह-उधारकर्ता- श्री अरविंद जोशी पुत्र ओम प्रकाश जोशी	सभी भाग एवं हिस्सों सहित आवासीय मकान संख्या 65, लक्ष्मी गेट के अंदर, झाँसी, जिला- झाँसी, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल-92 वर्ग मीटर, जोकि श्री ओम प्रकाश जोशी पुत्र स्व० हनुयायारण जोशी के नाम पर है। टाइटल डीड के अनुसार चौहददी- पूर्व-फिले की दीवार, पश्चिम- कुंजी का मकान, उत्तर- जगना का मकान, दक्षिण- रास्ता।	अ) 12.12.2024 ब) रु. 9,74,262.62/ +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 01.12.2024 से प्रभावी स) 27.03.2025 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 15.00लाख ब) रु. 1.50 लाख 16.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	16.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
4	शाखा ललितपुर तुवन चौराहा उधारकर्ता-श्री राम सुंदर शर्मा पुत्र नाथू राम शर्मा	बंधक सभी भाग एवं हिस्सों सहित अचल आवासीय मकान संपत्ति स्थित 705 / 1 (नया 823), भूमि संख्या 4883 मि. वार्ड संख्या 15, नवजीवन कॉलोनी, हरदीला, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल-127.71 वर्गमीटर जो श्री राम सुंदर शर्मा पुत्र नाथू राम शर्मा के नाम पर है, चौहददी (टाइटल डीड के अनुसार): पूर्व-विक्रेता की भूमि, पश्चिम- विक्रेता की भूमि, उत्तर-नामदेव की भूमि, दक्षिण-कच्चा रास्ता 7.50 मी.	अ) 21.05.2024 ब) रु. 18,37,686.79 +ब्याज एवं अन्य खर्चे दि. 30.04.2024 से प्रभावी स) 03.10.2024 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 58.00 लाख ब) रु. 5.80 लाख 23.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	23.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
5	शाखा: तुवन चौराहा, जिला-ललितपुर। ऋणी-मै. बाबा फिलिंग स्टेशन प्रोप. स्व: श्री हरिकिशन बाबा पुत्र श्री राम दयाल।	दो मंजिला आवासीय भवन, माप 1078 वर्गफुट लेन न. 3552 एम, मोहल्ला तालापुरा, ललितपुर (उ०प्र०)। (संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता- श्रीमती जमुना बाई पत्नी स्व: श्री हरिकिशन बाबा)। चौहददी- (स्वामित्व विलेख के अनुसार): उत्तर- श्री शिवप्रसाद एवं उमराव की संपत्ति दक्षिण- श्री बालचंद जैन, श्री शिवप्रसाद एवं उमराव की संपत्ति पूरब- श्री दुर्गाप्रसाद की संपत्ति पश्चिम- नगर पालिका मार्ग।	अ) 09.04.2019 ब) रु. 51,72,245/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 04.07.2019 द)सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 18.00 लाख ब) रु. 1.80 लाख 23.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	23.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
6	शाखा: तुवन चौराहा, जिला-ललितपुर। ऋणी-मै. बाबा फिलिंग स्टेशन प्रोप. स्व: श्री हरिकिशन बाबा पुत्र श्री राम दयाल।	एक मंजिला आवासीय भवन, माप 1560 वर्ग फुट लेन न. 3542 एम, लक्ष्मीपुरा, वार्ड न. 22, ललितपुर (उ०प्र०)। (संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता-स्व. श्री हरिकिशन बाबा पुत्र श्री राम दयाल एवं श्री प्यारे राजा पुत्र श्री गोविन्द सिंह) चौहददी- (स्वामित्व विलेख के अनुसार): उत्तर- श्री राजबहादुर खरे का आवास, दक्षिण- श्री बालचंद जैन की संपत्ति, पूरब- श्री आशाराम साहू की संपत्ति, पश्चिम- नगरपालिका मार्ग।	अ) 09.04.2019 ब) रु. 51,72,245/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 04.07.2019 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 15.50 लाख ब) रु. 1.55लाख 23.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	23.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक
7	शाखा: तुवन चौराहा, जिला-ललितपुर। ऋणी-मै. बाबा फिलिंग स्टेशन प्रोप. स्व: श्री हरिकिशन बाबा पुत्र श्री राम दयाल।	एक मंजिला आवासीय भवन, माप 375 वर्गफुट लेन न. 3274 एम, मोहल्ला तालापुरा, ललितपुर (उ०प्र०)। (संपत्ति मालिक/ बंधककर्ता-स्व. श्री हरिकिशन बाबा पुत्र श्री राम दयाल)। चौहददी- (स्वामित्व विलेख के अनुसार): उत्तर- श्रीमती जमुना बाई की संपत्ति, दक्षिण- श्री बालचंद जैन के आवास की ओर गली / मार्ग, पूरब- श्री बालचंद जैन की जमीन, पश्चिम- श्री रामस्वरूप का प्लॉट।	अ) 09.04.2019 ब) रु. 51,72,245/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे स) 04.07.2019 द) सांकेतिक कब्जा*	अ) रु. 4.50 लाख ब) रु. 0.45लाख 23.06.2026 स) रु. 0.10 लाख	23.06.2026 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक

नियम एवं शर्तें- 1. विक्रय प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम में वर्णित नियम एवं शर्तों एवं निम्न अन्य शर्तों के अनुसार होगा। 2. संपत्तियाँ "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय की जा रही हैं। 3. इस अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 4. यह विक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> पर 11.00 AM से 04.00 PM तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अयोध्यास्थानी द्वारा की जाएगी। 5. विस्तृत अवधि और विक्री की शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> देखें 6. सर्विस प्रदाता का हेल्प डेस्क नम्बर +918291220220 अथवा मुख्य प्रबंधक, मंडल कार्यालय: झाँसी मो. 9470591961 ई-मेल cs8252@pnb.bank.in है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारे वेबसाइट पर विजिट कर अथवा नोडल अधिकारी मुख्य प्रबंधक से मो. 9470591961 पर संपर्क करें। कृपया नोट करें: 1. प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरण- कोई अधिभार ज्ञात नहीं।

*सम्पत्ति का विक्रय सांकेतिक कब्जा जो "जहां है, जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जा रहा है। भौतिक कब्जा ऋणी / प्रशासन द्वारा देने पर प्राप्त होगा।

2. यह नोटिस उधारकर्ताओं / जमानतकर्ताओं / बन्धककर्ताओं को विक्री नोटिस भी है।

विक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी है।

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नैशनल बैंक,
मण्डल कार्यालय झाँसी

दिनांक: 26.05.2026

स्थान: झाँसी